मद्य निषेध,उत्पाद एवं निबन्धन विभाग

(निबन्धन)

दस्तावेजों के निबन्धन हेतु आवश्यक दस्तावेजः–

- यथावत मुद्रांकित तथा नियमानुसार निष्पादित मूल दस्तावेज
- मुद्रांक शुल्क, निबंधन एवं अन्य शुल्क तथा सर्विस चार्ज के रूप में भुगतान किये गये राशि का प्रमाण
- बिकय –पत्र, दान–पत्र, विनिमय,बंटवारा एवं बन्दोबस्ती के दस्तावेजों के लिए अनुलग्नक के रूप में बिहार स्टाम्प(लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) नियमावली,1995 के नियम 4(1) के अधीन प्रपत्र–IV में आवश्यक प्रविष्टियों को भरकर दोनों पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म
- पहचानकर्त्ता के फोटो पहचान पत्र की छाया प्रति।
- 10 लाख या उससे अधिक प्रभार्य मूल्य के बिकय विलेख के लिए प्रत्येक वास्तविक बिकेता एवं केता के पैन कार्ड की छाया प्रति
- यदि उपरोक्त स्थिति में किसी केता या बिकेता को पैन आवंटित नहीं है तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए आयकर अधिनियम के अधीन विहित प्रपत्र 60/61 सम्यक रूप से भरकर एवं हस्ताक्षरित कर पता के प्रमाण की छाया प्रति के साथ संलग्न करें।
- सम्यक रूप से भरा हुआ प्रपत्र –13 जिसे विभागीय वेबसाईट https://www.biharregd.gov.in/e-Filing/EnclosureEntry से डाउनलोड किया जा सकता है।
- स्वामित्व अन्तरण वाले दस्तावेज में भूमि का नजरी नक्शा जिसमें दस्तावेज में वर्णित प्रत्येक भूखण्ड से शहरी क्षेत्र में 50 मीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र में 200 मीटर की परिधि में पड़ने वाले प्रतीक चिन्ह का उल्लेख हो ताकि नजरी नक्शा की सहायता से भूखण्ड को चिन्हित किया जा सके।